Criteria for Creation of Sub-division

57 SH. RAKESH DAULTABAD (Badshahpur)

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the regulations under which the Sub-divisions of the district are created;

b) the criteria for the division or redrawing of existing sub-divisions in more sub-divisions;

c) the process for the creation or redrawing of new sub-divisions in Haryana; and

d) the average population of a sub-division in Haryana?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER & REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT MINISTER, HARYANA

Yes, sir

a) A new Sub-Division in State is created under Sub-section (3) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Governor of Haryana in consultation with The High Court of Punjab and Haryana.

b) Criteria for Sub-Division

Village	Tehsil/Sub-Tehsil	Patwar Circle	Population	Area in Hectare	Distance
40 & above	01 & above	15 & above	1,00,000 & above	15,000 & above	10 Km & above from the District.

c) Upon receipt of the proposals in this regard sent by the Deputy Commissioner concerned as per criteria fixed by the Government, and after obtaining approval of the competent authority, the concurrence of Finance Department, and approval of CMM, the case is sent to the Home Department for creation and notification of New Sub-Division under Sub- section (3) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), with the consent of

the Hon’ble Punjab and Haryana High Court and after due vetting by the Law and Legislative Department.

d) As in point (b) above.

उप-मंडल बनाने के लिए मानदंड

57 श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर)ः

क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) विनियमन क्या है जिनके अन्तगत जिले के उप-मण्डल बनाए गए हैं;

(ख) मौजूदा उप-
मण्डलों को अधिक उपमण्डलों में विभाजित या पुनः आरेखन (रिड्राइंग) करने के लिए मापदण्ड क्या है?

(ग) हरियाणा में नए उप-मण्डलों को बनाने या पुनः आरेखन (रिड्राइंग) करने की प्रक्रिया क्या है; तथा

(घ) हरियाणा में एक उप-मण्डल की औसतन जनसंख्या कितनी है?

श्री दुष्यंत चैटाला, उप-मुख्यमंत्री/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, हरियाणा

हां, श्रीमान जी

क) हरियाणा के राज्यपाल द्वारा पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत राज्य में नया उप-मण्डल बनाया जाता है।

ख) उप-मण्डल के मापदण्ड

गांव	तहसील/उप - तहसील	पटवार सर्कल	जनसंख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	दूरी
40 व अधिक	01 व अधिक	15 व अधिक	1,00,000 व अधिक	15,000 व अधिक	जिले से 10 किलोमीटर व अधिक

ग) सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा भेजे गये प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति एवं मन्त्री परिषद् की बैठक के अनुमोदन के बाद मामले को प्रेषित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति और विधि एवं विधायी विभाग द्वारा उचित पुनर्निरीक्षण के बाद गृह विभाग द्वारा नये उप-मण्डल का निर्माण बारे अधिसूचना जारी की जाती है।

घ) जैसा उपरोक्त बिदुं न. (ख)